

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1769/11-सी-FP/UP/Others/20340/2016, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 22, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- एस्सार ऑयल लि० वाराणसी द्वारा इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग (एस०एचए-07) के किमी० संख्या-113 से 114 के मध्य खाता/खतौनी नं०-702 ग्राम-निजामपुर, थाना-शाहगंज तहसील-शाहगंज, जनपद-जौनपुर में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0750 है० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/08/2017/एफ०सी०/107, दिनांक-19.01.2017 एवं अनुसचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक-भा०स०-14/14-2-2017-800(167)/2016, दिनांक-27.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में पाई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, जौनपुर अपने पत्रांक-2802/14-16, दिनांक-10.02.2017 द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित किया है। उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को प्रस्ताव की दो मूल प्रतियों में संलग्न कर, इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव की एक मूलप्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ को सन्दर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय



(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- /11-सी- FP/UP/Other/20340/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, जौनपुर।
- 3- डिविजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, तृतीय तल, अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी-221010

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

16

भाग 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रमुख वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिश ।	Recommended for Approval.
	(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	


दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर.....

नाम व पद.....

(सरकारी मुहर)


20/11/16
सुरेश चन्द्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ० प्र०, लखनऊ